

# उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

## अधिसूचना

क्रमांक बी/2098

तीन-10-40/78-आठ

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल, 2022

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी/4666 दिनांक 18.11.2016 में संशोधन करते हुए जिला होशंगाबाद का परिवर्तित नाम नर्मदापुरम समाविष्ट किया जाता है एवं तदनुसार उक्त अधिसूचना की सारणी में अनुक्रमांक 21 सिविल जिले से संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

### सारणी

अनु क्र.	सिविल जिले का नाम	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
21	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	3	नर्मदापुरम	2	नर्मदापुरम	3
		सोहागपुर	2	सोहागपुर	1	सोहागपुर	1
		पिपरिया	3	पिपरिया	2	पिपरिया	2
		इटारसी	3	इटारसी	2	इटारसी	3
				सिवनी	1	सिवनी	1
				मालवा		मालवा	
				पचमढ़ी	2		

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार

(विवेक सक्सेना)

रजिस्ट्रार जिला स्थापना